

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2021, दिनांक::मार्च 26 , 2021

—:संशोधित आदेश :-

मुख्यालय के आदेशांक-649/21 दिनांक 19.03.2021 द्वारा माह-अप्रैल-2021 का युगल पीठ कार्यक्रम परिचालित किया गया था। श्री विवेक कुमार, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3, कानपुर ने अपने अर्धशासकीय पत्र संख्या-105/21 दिनांक 22.03.2021 द्वारा अनुरोध किया गया है कि उनकी अस्वस्थता के कारण युगल पीठ कार्यक्रम में उन्हें झांसी, आगरा में गठित युगल पीठ से मुक्त किया जायें।

उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में पूर्व निर्गत युगल पीठ कार्यक्रम निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है।

क्रम सं०	बैठने का स्थान	कार्य-आवंटन	कार्य-अवधि	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य	
01	02	03	04	05	
2	पीठ-1 आगरा	पीठ-1 व 2 आगरा	5/4/2021 से 9/4/2021	पीठ-1, नोएडा पीठ-4, कानपुर	न्यायिक विभागीय
3	पीठ-1 कानपुर	पीठ-1,2,3 व 4 कानपुर	26/4/2021 से 30/4/2021	पीठ-1, कानपुर पीठ-3, कानपुर	न्यायिक विभागीय
9	पीठ-झांसी	पीठ-झांसी	19/4/2021 से 23/4/2021	पीठ-1, आगरा पीठ-4, कानपुर	न्यायिक विभागीय

ह0/26.03.2021

(महताब अहमद)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन::वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ 703 /2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, 2 आगरा, पीठ-1,2,3 व 4 कानपुर, पीठ-झांसी।
2. मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
3. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

प्र0 निबंधक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

